महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर

आरोग्य धाम, बालापार रोड, सोनबरसा, गोरखपुर - 273007

उत्तर प्रदेश

Mahayogi Gorakhnath University Gorakhpur

Arogya Dham, Balapar Road, Sonbarsa, Gorakhpur-273007

Uttar Pradesh

विवरणिका

Combined Research Eligibility Test Brochure (CRET-2026-27)

संयुक्त शोध पात्रता परीक्षा-2026-27

महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर
आरोग्य धाम, बालापार रोड, सोनबरसा, गोरखपुर - 273007

पी0 एच0 डी0 प्रवेश परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां

विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि	16.03.2026
आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाने की अंतिम तिथि	30.04.2026
वेबसाइट पर प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि	18.05.2026
लिखित प्रवेश परीक्षा की तिथि	20.05.2026
लिखित प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि	01.06.2026
साक्षात्कार मौखिक परीक्षा की तिथि	05.06.26 - 15.06.2026
साक्षात्कार मौखिक परीक्षा परिणाम की तिथि	16.06.26
पंजीकरण कोर्स फीस जमा करने की तिथि	17.06.26 - 30.06.2026

नोट:-

1. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30.04.2026 के बाद किसी भी दशा में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरा जा सकेगा।
2. प्रवेश हेतु ऑनलाइन शुल्क जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट निकाला जा सकता है।
3. पीएचडी प्रवेश परीक्षा से संबंधित अन्य किसी सूचना के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहे।
4. शोध प्रवेश परीक्षा के परिणाम के पश्चात विश्वविद्यालय वेबसाइट पर साक्षात्कार मौखिक एवम डी आर सी की तिथियां को प्रकाशित किया जाएगा।
5. अतः अहर्य अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

1. पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता (Eligibility Criteria for Admission in Ph.D. courses) :

(i) विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक (कृषि विज्ञानं के लिए 60%) अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बिन्दु मानक 10 पर 'बी' ग्रेड (6.5 **पॉइंट्स**) प्राप्त हो (जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनायी जाती है वहाँ बिन्दु मानक पर समतुल्य ग्रेड) अभ्यर्थी शोध कार्य हेतु पात्र होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग आवेदकों के लिये न्यूनतम 50% अंक ((5.5 **पॉइंट्स**)) अथवा ग्रेड में समतुल्य के साथ उत्तीर्ण छात्र पीएच0डी0 हेतु आवेदन कर सकते हैं।

(ii) अभ्यर्थी जिनके पास किसी भारतीय संस्थान की स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष ऐसी उपाधि है जो किसी विदेशी शैक्षिक संस्थान से है जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित है, जो शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अन्तगर्त स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र होंगे।

(iii) महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के स्थायी शिक्षक और आस्थाई शिक्षक।

(iv) अन्तरराष्ट्रीय अभ्यर्थी (एन0आर0आई0 सहित) जो समय–समय पर भारत सरकार एवं

(v) विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश, शुल्क आदि से सम्बंधी बनाये गये नियमों एवं शर्तों से आच्छादित होते हैं।

(vi) परास्नातक पाठ्यक्रम के अंतिम शैक्षणिक सत्र में अध्ययनरत विद्यार्थी भी शोध पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं किन्तु शोध पाठ ्यक्रम में प्रवेश से पूर्व उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण कर अपेक्षित अर्हताएँ पूरी करना आवश्यक है।

(vii) विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय या शोध संस्थान से ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एक बार शोध उपाधि (Ph.D) प्राप्त कर ली है और वह पुनः शोध (Ph.D) करना चाहते हैं।

2. प्रवेश श्रेणी (Admission Categories) :

(i) **पूर्णकालिक** (Full Time) पीएच0डी0 : पूर्ण कालिक शोध पीएच0डी0 की श्रेणी (छात्रवृत्ति के साथ या बिना छात्रवृत्ति के या प्रायोजित (Sponsored) :

a. ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास वैध नेट (NET)/गेट(GATE)/ICMR/CSIR/DBT/ICAR JRF/UGC from CRET Test स्कोर हो।

b. ऐसे अभ्यर्थी (एक विदेशी नागरिक सहित) जिनको सरकारी/अर्ध सरकारी एजेंसियाँ क्यू0आई0पी0 (Q.I.P.), सी.एस.आई.आर. (C.S.I.R.), यू.जी.सी. (U.G.C.), डी.ए.इ. (D.A.E.), डी.एस.टी. (D.S.T. including Inspire fellowship), डी.बी.टी.

(D.B.T.), एन.बी.एच.एम. (N.B.H.M.), जे.ई. एस.टी. (J.E.S.T.), आई.सी.सी.आर. (I.C.C.R.), एन.डी.एफ.–एस.आई.सी.टी.ई. (N.D.F.- A.I.C.T.E.), डी.आर.डी.ओ. (D.R.D.O.) आदि से वित्तीय सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट मे JRF/SRF (exempted from CRET).

c. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें सरकारी या शैक्षणिक संस्थानों से कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिये पीएच0डी0 कार्यक्रम के लिये अध्ययन अवकाश दिया गया हो।

d. स्ववित्तपोषित अभ्यर्थी–

भारतीय : यह श्रेणी पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिये अच्छे ट्रैक रिकार्ड वाले और अनुभवी व्यक्तियों को संदर्भित करती है। उन्हें सामान्य प्रवेश प्रक्रिया (CRET) के माध्यम से नियमित शोध अभ्यर्थियों के साथ प्रवेश दिया जायेगा।

विदेशी : पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में विदेशी नागरिकों का प्रवेश समय–समय पर भारत सरकार की नीति और निर्देश के अनुसार किया जायेगा।

(ii) **अंशकालिक (Part Time)** पीएच0डी0 :

a. विश्वविद्यालय के नियमित एवं पूर्णकालिक शिक्षक जिन्होंने विधि द्वारा स्थापित शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश/केन्द्र सरकार या उसके किसी विभाग में सेवा अथवा कार्य कर रहे हो, अंशकालिक पीएच0डी0 में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

b. सार्वजनिक क्षेत्र, निजी उद्योगों/कम्पनियों में एक अधिकारी/ वैज्ञानिक के रूप मे 10 वर्ष से अधिक की सेवा का सतत् अनुभव प्राप्त, को अंशकालिक पीएच0डी0 प्रवेश के लिये अर्हता प्राप्त होगी।

c. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में शोध एवं विकास (R&D) परियोजना में नियमित रूप से पूर्णकालिक रूप से काम कर रहे शोध छात्र/उम्मीदवार परियोजना में शामिल होने के 06 मास बाद अंशकालिक पीएच0डी0 अभ्यर्थी के रूप में शामिल हो सकते हैं।

d. ऐसे अभ्यर्थियों को अंशकालिक पीएच0डी0 करने के लिये अपने संस्थान/विभाग के संस्था प्रमुख/नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करना होगा जिसमें उल्लिखित हो कि–

I. वह संस्थान/विभाग में नियमित रूप से कार्यरत है।

II. उसे अंशकालिक आधार पर अध्ययन करने की अनुमति है।

III. उसके अंशकालिक पीएच0डी0 के दौरान उसे पर्याप्त समय की अनुमति प्राप्त होगी। प्रमाण पत्र, उस संस्था के लेटरहेड पर हा एवं उसमें एक वचनबद्धता शामिल होनी चाहिए जिसमें कहा गया हो कि उम्मीदवार के अध्ययन की अवधि को सामान्य वेतन/भत्तों के साथ ड्यूटी पर माना जायेगा और उसे अध्ययन की अवधि के लिये

कार्यमुक्त कर दिया जायेगा। उम्मीदवार को यह बताते हुए एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसके संस्थान/संगठन में अनुसंधान सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

e. यदि कोई शोधार्थी, पूर्णकालिक पीएच0डी0 के दौरान विधि द्वारा स्थापित शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश/केन्द्र सरकार या विभाग में किसी सरकारी संस्था में नियमित सेवा में चयन उपरान्त कार्यभार ग्रहण कर पूर्णकालिक से अंशकालिक पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में परिवर्तन के लिये आवेदन करता है तो उसकी न्यूनतम प्रवास अवधि (Residential Period) एक वर्ष होगी परन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा सफलतापूर्वक पीएच0डी0 कोर्स वर्क पूर्ण कर लिया गया हो। हालांकि, शोधार्थी को विश्वविद्यालय या किसी अन्य संस्थान द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति मिलने की स्थिति में, 3 वर्ष पहले रूपांतरण की अनुमति नहीं होगी। यदि शोधार्थी 03 वर्ष पूरा करने की शर्त को पूरा नहीं करता है, शोधार्थी द्वारा विश्वविद्यालय को छात्रवृत्ति की पूरी धनराशि वापस करनी होगी। ऐसे शोधार्थी को अंशकालिक पीएच0डी0 करने के लिये अपने संस्थान/विभाग के संस्था प्रमुख /नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करना होगा जिसमें कहा गया हो कि वह संस्थान/विभाग में नियमित रूप से कार्यरत है एवं उसे अंशकालिक आधार पर अध्ययन करने की अनुमति है। यह परिवर्तन विभागीय शोध समिति/शोध उपाधि समिति की संस्तुति के उपरान्त स्वीकार्य होगा। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित को पत्र निर्गत किया जायेगा।

g. न्यूनतम प्रवास अवधि पूर्ण होने के उपरान्त अंशकालिक पीएच0डी0 उम्मीदवारों को प्रत्येक सेमेस्टर में कम से कम 06 दिन (सार्वजनिक अवकाश को भी सम्मिलित करते हुए) शोध कार्य पर शोध निर्देशक के परामर्श के अनुसार समय देना होगा। शोध निर्देशक और कार्यालय के पास उपस्थिति का अभिलेख रखा जाना चाहिए।

3. **संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा (CRET) से छूट (Exemption From Entrance Test) :**

(i) अन्तर्राष्ट्रीय अभ्यर्थी (एन0आर0आई0 सहित) जो समय–समय पर भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश, शुल्क आदि से सम्बंधी बनाये गये नियमों एवं शर्तों से आच्छादित होते हैं।

(ii) वे सभी अभ्यर्थी जिनका चयन यू0जी0सी0/सी0एस0आई0आर0 डी0एस0टी0 इंस्पायर/डी0बी0टी0/आई0सी0ए0आर0/आई0सी0एम0आर0/डी0ए0ई0/आई0सी0एच0आर0/जीपेट/एन0बी0एच0एम0/जे0इ0एस0टी0/आई0सी0सी0आर0/एन0डी0एफ0–ए0आई0सी0टी0ई0/डी0आर0डी0ओ0 या भारत सरकार की किसी अन्य केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा जे0आर0एफ0/नटे या पू0पी0 स्लेट कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो या फेलोशिप के नियमों एवं वैधता को पूर्ण करते हों।

(iii) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने गेट (GATE) की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(iv) एम0फिल0 उपाधि धारक भी अर्ह होंगे।

(v) गवर्नमेंट सेक्टर/पब्लिक सेक्टर/प्राइवेट इन्डस्ट्री/कम्पनीज में अधिकारी जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की सतत् सेवा पूर्ण कर ली हो। (10 वर्ष का नियमित अनुभव प्रमाण पत्र जो संस्था द्वारा जारी किया गया हो)।

(vi) विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय या शोध संस्थान से ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एक बार शोध उपाधि (Ph.D.) प्राप्त कर ली है और वह पुनः शोध (Ph.D.) करना चाहते हैं।

4. **प्रवेश हेतु प्रक्रिया (Procedure for Admission) :**

(i) पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा (CRET) के माध्यम से किया जायेगा।

(ii) प्रवेश परीक्षा लिखित आधार पर होगी। लिखित प्रवेश परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होंगा। लिखित प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक के योग का प्रतिशत सामान्य एवं आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 50% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पृथक रूप से निशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 45% प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(iii) प्रवेश परीक्षा में 50% शोध पद्धति (Research Methodology) प्रश्न पत्र तथा 50% विशिष्ट विषय (सन्दर्भित विषय) का पाठ्यक्रम शामिल होगा।

(iv) प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित की जायेगी। इसकी तिथि में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना समय से पूर्व अभ्यर्थियों को प्रदान की जायेगी।

(v) लिखित परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी।

(vi) CRET से उत्तीर्ण तथा लिखित परीक्षा से छूट प्राप्त अभ्यर्थी ही साक्षात्कार/मौखिकी के लिये अर्ह होंगे।

(vii) प्रवेश परीक्षा में 50% अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिये अर्ह होंगे।

(viii) साक्षात्कार/मौखिकी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शोध केन्द्रों पर विभागीय शोध समिति के माध्यम से सम्पन्न होगी। अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के अर्न्तगत शोध केन्द्र पर उपस्थिति अनिवार्य होगा।

(ix) CRET से उत्तीर्ण तथा लिखित परीक्षा से छूट प्राप्त अभ्यर्थी जो साक्षात्कार प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, प्रवेश के लिये अर्ह नहीं होंगे।

(x) साक्षात्कार/मौखिकी में सफल अभ्यर्थियों की अवरोही क्रम में सूची तैयार की जायेगी और इसी क्रम में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमन्य आरक्षण प्रवेश में लागू होगा।

(xi) यदि कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार तथा लिखित परीक्षा के कुल योग में समान अंक प्राप्त करता है तो उसका प्रवेश निम्नलिखित द्वारा निर्धारित किया जायेगा–

a. अभ्यर्थी के द्वारा स्नातकोत्तर परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर वरीयता दी जायेगी।

b. यदि किसी अभ्यर्थी का स्नातकोत्तर परीक्षा में भी समान अंक है तो आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

(xii) शोध पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का यह तात्पर्य नहीं है कि अभ्यर्थी को शोध पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से प्रवेश प्राप्त हो जायेगा। विश्वविद्यालय को शोध निर्देशकों की अनुपलब्धता सहित अन्य कारणों से किसी भी शोध कार्यक्रम मे प्रवेश स्थगित करने/रखने का अधिकार होगा।

(xiii) **पूर्णकालिक पीएच0डी0/अंशकालिक पीएच0डी0:–** अभ्यर्थी के लिये साक्षात्कार/मौखिकी के अंको का वितरण निम्नानुसार किया जायेगा–

क्र0सं0	घटक	अंक	स्कोर निर्धारण

	प्रस्तुतिकरण शोध कार्य आलेख (Write up)	10	कम से कम 10, अधिकतम 15 स्लाईड के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हो जिसमें शोध का प्रस्ताव, शीर्षक, लिटरेचर रिब्यु, विधि, उद्देश्य इत्यादि शामिल हो = अधिकतम 10 अंक
	मौखिकी / साक्षात्कार	20	मौखिकी / साक्षात्कार में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जायेगा: 1. क्या अभ्यर्थी में प्रस्तावित शोध के लिए क्षमता है। 2. क्या प्रस्तवित शोध कार्य सुलभतापूर्वक विश्वविद्यालय या शोध केन्द्र पर क्रियान्वित किया जा सकता है ? 3. क्या प्रस्तावित शोध के क्षेत्र द्वारा नवीन / अतिरिक्त ज्ञान में योगदान प्राप्त हो सकता है ?
	योग	30	

(xiv) अंशकालिक पीएच0डी0 के डी0आर0सी0 की समस्त बैठक विश्वविद्यालय परिसर में सम्पन्न करायी जायेगी।

5. पीएच0डी0 पाठ्यक्रम अवधि (Duration of Ph.D.) :

a. पूर्णकालिक : पूर्णकालिक पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की तिथि (प्रवेश शुल्क जमा करने की तिथि) से पीएच0डी0 पाठ्यक्रम मे शोध प्रबन्ध जमा करने की अवधि कम से कम 03 वर्ष की होगी, जिसमें पाठ्यक्रम से सम्बन्धित कार्य भी शामिल होगा तथा अधिकतम अवधि 06 वर्ष होगी।

b. अंशकालिक : अंशकालिक पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की तिथि (प्रवेश शुल्क जमा करने की तिथि) से पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 04 वर्ष एवं अधिकतम अवधि 07 वर्ष होगी।

c. महिला अभ्यर्थी तथा निशक्त व्यक्ति (जिनकी निशक्तता 40 प्रतिशत से अधिक हो) उन्हे पीएच0डी0 के लिये अधिकतम 02 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

d. विशेष परिस्थितियों में, शोध प्रबन्ध जमा करने की अधिकतम अवधि की समाप्ति के बाद शोधार्थी को कुलपति द्वारा एक वर्ष का विस्तार दिया जा सकता है, यदि शोधार्थी ने अधिकतम अवधि समाप्त होने के 03 मास से पहले शोध प्रबन्ध जमा करने के विस्तार के लिये आवेदन किया हो।

e. शोध प्रबन्ध को जमा करने पर विश्वविद्यालय द्वारा शोधार्थी को एक निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति
देनी होगी।

6. प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरने सम्बंधी दिशा–निर्देश:
(Guideline to fill Online Aplication for Entrance Examination) :

(i) प्रवेश हेतु निर्धारित ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट
(ii) www.mgug.ac.in पर दिये गये समस्त दिशा निर्देशों को भली–भाँति पढ़े तथा उसके
(iii) अनुसार आवेदन–पत्र में आवश्यक सभी प्रविष्टियाँ सावधानीपूर्वक भरें।
(iv) ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरते समय अभ्यर्थी अपनी नवीनतम स्पष्ट रंगीन फोटो ;रचमहद्ध
(v) (अधिकतम साइज 50KB) एवं स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर (अधिकतम साइज 50KB) निर्धारित
(vi) स्थान पर अपलोड करें।
(vii) अभ्यर्थी अपना वैध ई–मेल आईडी, आधार नम्बर एवं कार्यरत मोबाइल नम्बर को ही भरें। सभी सूचनाएँ उपरोक्त माध्यम से अभ्यर्थियों को प्रेषित की जायेगी।
(viii) आवेदन पत्र ऑनलाइन भरते समय जाति, आय एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS) के

(ix) अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होगा, जिसे अपलोड किया
(x) जायेगा।
(xi) किसी एक ही विषय के लिये ऑनलाइन शोध प्रवेश परीक्षा आवेदन भरा जा सकता है।
(xii) ऑनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा और न ही अन्य किसी पाठ्यक्रम में स्थानान्तरित किया जायेगा।
(xiii) अभ्यर्थी को प्रवेश लेते समय प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) जमा करना अनिवार्य होगा।
(xiv) प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश–पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgug.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
(xv) यदि त्रुटिवश कोई अर्नह अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ जाता है, ऐसी स्थिति मे विश्वविद्यालय को उसका अभ्यर्थन निरस्त करने का अधिकार होगा।
(xvi) अभ्यर्थी को प्रवेश परिणाम की सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट द्वारा दिया जायेगा। अर्ह अभ्यर्थी विश्वविद्यालय में विभागीय शोध समिति (Departmental Research Committee) (डी0आर0सी0) हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन प्रारूप पर अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा।
(xvii) डी0आर0सी0 के समक्ष अर्हकारी योग्यता से सम्बन्धित समस्त अंक–पत्र तथा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(xviii) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये सूचित तिथि एवं समय पर निर्धारित शुल्क जमा नहीं करने पर चयनित अभ्यर्थी का प्रवेशाधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा।

7. संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा (CRET) के प्रश्नपत्र का प्रारूपः

(Format of Question Paper for Combined Research Entrance Examination):

(i) CRET बहुविकल्पीय प्रश्न (Objective Type Question) पर आधारित होगा जिसमें दो खंड होंगे।

प्रथम खंड– सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिये समान होगा, जिसमे वस्तुनिष्ठ प्रकार के 35 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 01 अंक के होंगे। यह प्रश्न–पत्र शोध पद्धति (Research Methodology) पर आधारित होगा

द्वितीय खंड– सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिये अलग–अलग होगा, इसमें केवल विशिष्ट विषय (सन्दर्भित विषय) का पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर स्तर पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के 35 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 01 अंक के होंगे। इस प्रश्न–पत्र के लिये 90 मिनट का समय निर्धारित होगा।

नोट– प्रवेश परीक्षा में कोई नकारात्मक मांर्किंग नहीं होगी।

(ii) प्रवेश परीक्षा दिनांक 20.05.2026 को अपराह्न 02:00 बजे से 03:30 बजे तक सम्पन्न करायी जायेंगी।
(iii) परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।
(iv) **प्रश्न पत्र** में शोध पद्धति (Research Methodology) का पाठ्यक्रम इस सूचना विवरणिका के अन्तिम पृष्ठ पर दिया गया है (Annexure I)।

8. कोर्स वर्क (Course Work):

(i) विश्वविद्यालय/संस्थान/निदेशक/प्राचार्य/विभागाध्यक्ष को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन विषयों के पीएच0डी0 कोर्स वर्क का संचालन उनके अध्ययन केन्द्र पर किया जाना है,

उन विषयों से सम्बन्धित शिक्षकों की कोर्स वर्क के सुचारू रूप से संचालन में संलग्नता उनका अकादमिक कर्तव्य माना जायेगा।

(ii) विश्वविद्यालय/संस्थान/ में स्थापित अध्ययन केन्द्र के संयोजक/समन्वयक द्वारा उपलब्ध करायी गयी समय–सारणी और कार्य–योजना के अनुरूप सम्बन्धित विषय की कक्षाओं एवं अन्य गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित किया जायेगा। अध्ययन केन्द्र संयोजक/समन्वयक की नियुक्ति संस्था प्रमुख द्वारा की जायेगी।

(iii) आवश्यकतानुसार अवकाश के दिनों में भी कक्षाएँ संचालित की जा सकती हैं। जिन दिनों कक्षाएँ संचालित होंगी, उन दिनों को सम्बन्धित शोधार्थी को उपस्थिति पंजिका पर प्रत्येक कालांश में हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

(iv) संगणक (कम्प्यटूर)/प्रयोगशाला और पुस्तकालय की उपस्थिति पंजिका पर उक्त अवधि में शोधार्थियों को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

(v) प्रत्येक अवधि के लिये अलग–अलग उपस्थिति पंजिकाएँ तैयार की जायंगी।

(vi) प्रत्येक विषय के अध्ययन केन्द्र संयोजक/समन्वयक उपस्थिति पंजिका को अपने हस्ताक्षर से सत्यापित करके अध्ययन केन्द्र के संस्था प्रमुख अथवा संस्था प्रमुख द्वारा अधीकृत (विश्वविद्यालय परिसर के लिये) प्रति हस्ताक्षरित कराके प्रत्येक माह R&D Cell में जमा करना अनिवार्य होगा।

(vii) कोर्स वर्क के शुल्क के रूप में प्रत्येक शोधार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कोर्स वर्क शुल्क विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

(viii) प्रत्येक विषय के लिये अध्ययन केन्द्र का निर्धारण संस्थान के संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एवं संस्था की सहमति के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(ix) सभी प्रवेशित शोधार्थी (प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्त छात्र भी) को कम से कम छः माह का कोर्स वर्क online or offline करना अनिवार्य होगा।

(x) छः माह के कोर्स वर्क को शोध (पीएच0डी0) की तैयारी माना जायेगा।

(xi) प्रत्येक विषय में शोधार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिये अधितकम पूर्णांक का 50% अंक पाना अनिवार्य है।

(xii) कोर्स वर्क की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये प्रत्येक प्रश्न पत्र के सभी कक्षाओं में (लिखित एवं प्रायोगिक) न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य है यदि किसी शोधार्थी की बीमारी के कारण, खेल–कूद या अन्य गतिविधियों में भाग लेने की वजह से उपस्थिति कम रह गयी है तब निम्नलिखित नियम लागू होगे– 20% तक की कम उपस्थिति को संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्राचार्य द्वारा छूट दिया जा सकता है, अधिकतम 50% तक की कम उपस्थिति को कुलपति द्वारा छूट दिया जा सकता है।

(xiii) समस्त कोर्स वर्क की अर्हकारी (Qualifying) परीक्षा विश्वविद्यालय परिसर में ही सम्पन्न करायी जायेगी।

(xiv) यदि कोई विद्यार्थी कोर्स वर्क मे अनुत्तीर्ण (Fail) हो जाता है तो उसे अगले बैच के साथ कोर्स वर्क परीक्षा पास करने का एक और अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

(xv) प्रत्येक विषय के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप ही कोर्स वर्क का संचालन किया जायेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले निर्देशों के अनुरूप कोर्स वर्क का संचालन किया जायेगा।

(xvi) समय–समय पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत संशोधित नियम शोधार्थियों पर लागू होंगे।

9- (A) उर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation) :

(i) आरक्षण अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति/आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग के लिये क्रमशः 21, 02, 27 तथा 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित है (उ0प्र0 शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुरूप)। आरक्षण का लाभ लेने के लिये अभ्यर्थी को आवेदन–पत्र में यथा स्थान अधोलिखित तालिका के अनुसार श्रेणी का उल्लेख करना होगा। डी0आर0सी0 के समय जाति का मूल प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। अन्य पिछड़े वर्ग के लिये उ0प्र0 सरकार के शासनादेश के अनुसार निर्गत जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

(ii) आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शासनादेश के अनुरूप आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

(iii) आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9. (B) क्षैतिज आरक्षण (Horizonal Reservation) :

(i) दिव्यांग अभ्यर्थियों की सभी श्रेणियों (दृष्टीहीन/कम दृष्टि, श्रवण ह्रास एवं पालन निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात) के लिये पृथक–पृथक 01 प्रतिशत स्थान कुल 03 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है। दिव्यांग अभ्यर्थी को आरक्षण मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।

(ii) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिये कुल 02 प्रतिशत तथा सैनिक/भूतपूर्व सैनिक/जम्मू कश्मीर में तैनात सैनिक अथवा अर्द्धसैनिक आश्रित अथवा जम्मू कश्मीर से विस्थापित नागरिकों के आश्रितों के लिये कुल 05 प्रतिशत सीट सम्बन्धित श्रेणी में आरक्षित है।

(iii) महिला अभ्यर्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है। महिलाओं के कुल आरक्षित सीट संख्या में से 02 प्रतिशत सीट विधवा/तलाकशुदा महिलाओं को सम्बन्धित श्रेणी में आरक्षित है।

10. शोध निर्देशकों का आवंटन (Allocation of Research Supervisor) :

(i) विश्वविद्यालय विषयवार प्रत्येक शोध निर्देशकों के अधीन रिक्त सीटों की सूची जारी करेगी।

(ii) शोधार्थी सम्बन्धित शोध निर्देशक की सहमति पत्र प्राप्त कर विश्वविद्यालय द्वारा गठित विभागीय शोध समिति के समक्ष अपनी योग्यता एवं शोध के निमित्त प्रस्तावित विषय का विवरण दते हुए शोध संक्षेपिका प्रस्तुत करेगा।

(iii) सहमति पत्र के आधार पर समिति शोध छात्र को प्री पीएच0डी0 कोर्स वर्क की अनुमति प्रदान करेगा।

11. शोध प्रवेश एवं पंजीकरण प्रक्रिया (Research Admission & Registration Process) :

(i) विद्यार्थी अपना शोध प्रारूप सम्बन्धित विषय की विभागीय शोध समिति की बैठक में स्वीकृति हेतु शोध निर्देशक की संस्तुति के साथ निर्धारित आवेदन पत्र पर वांछित विवरणों के साथ 5 प्रतियों में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/प्राचार्य के कार्यालय मे प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। शोध प्रारूप में विषय–वस्तु साहित्य समीक्षा, उद्देश्य, परिकल्पनाएँ, शोध–विधि, शोध योजना एवं

शोध का शैक्षिक महत्व आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। शोध समिति की बैठक की सूचना के साथ सम्बन्धित सदस्यों को शोध प्रारूप की प्रति हस्तगत करा दी जायेगी।

(ii) डी0आर0सी0 पीएच0डी0 प्रवेश के लिये शोध छात्रों के आवेदन पत्र पर विचार करेगी और शोध विषय पर विचार करने के बाद उन्हें यथावत अथवा संशोधित रूप में स्वीकृत कर सकती हैं। सामान्यतया एक सप्ताह के अन्दर विभागाध्यक्ष द्वारा समिति का कार्यवृत्त स्वीकृत आवेदन पत्रों के साथ शोध अनुभाग को प्रेषित कर दिया जायेगा। शोध शीर्षक आरडीसी से स्वीकृत होने के पश्चात शोध अनुभाग द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने हेतु अनुमति पत्र निर्गत किया जायेगा।

(iii) अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ आवश्यक सत्यापन हेतु अपने शोध निर्देशक एवं विभागाध्यक्ष/प्राचार्य के समक्ष उपस्थित होगा। सत्यापन के पश्चात विभागाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर शोध अनुभाग द्वारा शोध प्रवेश शुल्क जमा करने हेतु अनुमति पत्र जारी किया जायेगा।

(iv) प्रवेश की अनुमति प्राप्त होने पर अभ्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शोध प्रवेश शुल्क जमा करेगा। यदि अभ्यर्थी यह शुल्क प्रवेश की अनुमति प्राप्ति के तीन सप्ताह के भीतर जमा कर देता है तो उसका प्रवेश हो जायेगा और कोर्स फीस जमा करने की तिथि को पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि मानी जायेगी। उक्त अवधि के अन्दर यदि शोधार्थी शुल्क जमा नहीं करता है तो उसके प्रवेश की अनुमति स्वतः निरस्त हो जायेगी तथा मेघा सूची में उसके बाद के स्थान पर निर्दिष्ट छात्र को मौका दिया जायेगा।

(v) कोर्स फीस जमा करने की तिथि को पीएच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि मानी जायेगी।

(vi) कोर्स के सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के उपरान्त विद्यार्थी को पीएच0डी0 में शोध के लिये पंजीकृत किया जायेगा।

(vii) प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर शोध प्रगति आख्या (Annexure III) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12. **पीएच0डी0 पाठ्यक्रम शुल्क (Ph.D. Course Fee) :**

सभी चयनित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश एवं अन्य शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

अकादमिक शुल्क	40,000/- प्रति सेमेस्टर
मूल्यांकन और परीक्षा शुल्क	10,000/- प्रति सेमेस्टर
नामांकन शुल्क	25,000/- केवल प्रथम सेमेस्टर
थीसिस मूल्यांकन एवम मौखिकी	50,000/- केवल अंतिम सेमेस्टर

प्रवेश समन्वयकए पीएच0डी0 **कुलसचिव**

महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर
आरोग्य धाम, बालापार, सोनबरसा, गोरखपुर – 273007

Annexure-I

SYLLABUS FOR

Ph.D. ENTRANCE EXAM PAPER

(RESEARCH METHODOLOGY)

1. **Basic concept of research problem**
   - Meaning and source of research problem
   - Identification of research problem
   - Research objective and scope of research
   - Types of research-fundamental/applied/action/quantitative/qualitative
2. **Review of Literatures**
   - Primary and secondary sources, searching e-resources using search engines
   - Searching data base • Writing Literature review
3. **Methods of research**
   - Concept and formulation of hypothesis
   - Survey Methods • Experimental methods (variable, designs)
4. **Sampling and Collection of data**
   - Sampling techniques
     Primary data and secondary data collection
   - Method of data generation/collection-by experiments, questionnaire, interview schedule, focus group etc.
5. **Measure of Central tendency**
   - Mean, median, mode, standard deviation and Variance
6. **Report preparation**
   - Structure and component of research report
   - Organization of Data
   - Types of journals, indexing of journal and research output
   - Citation, references, bibliography style
   - Copyright, plagiarism, originality of research work
   - Format and style of writing the research report
7. **Research ethics**
   - Ethics in research

8. Discipline wise syllabus